रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 1999/आषाढ़ 15, 1921
No. 343] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 1999/ASADHA 15, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1999

सं. 85/99-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 84/97-सीमाशुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) "संयुक्त राष्ट्रसंघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, उनके द्वारा वित्तपोषित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के अनुपालन के लिए भारत में आयात किए जाने वाले सभी माल को" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, वित्तपोषित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भारत में आयात किए जाने वाले सभी माल को"

(ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि आयातकर्त्ता, मालों की निकासी के समय, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करता है,—

(i) ऐसी दशा में जहां उक्त माल संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित (चाहे ऋण द्वारा या अनुदान द्वारा) परियोजना में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं, और उक्त परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी से यह प्रमाणपत्र कि उक्त माल संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है और यह कि उक्त परियोजना भारत सरकार द्वारा सम्यक्रूप से अनुमोदित की गई है, या

(ii) ऐसी दशा में जहां उक्त माल, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित (चाहे ऋण

द्वारा या किसी अनुदान द्वारा) किसी परियोजना में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं, और उक्त परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से और भारत सरकार के संबंधित लाईन मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र कि उक्त माल उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित हैं और यह कि उक्त परियोजना का भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदन कर दिया गया है, और

(iii) उस दशा में जहां उक्त माल विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित (चाहे ऋण द्वारा या अनुदान द्वारा) परियोजना में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं, और उक्त परियोजना किसी राज्य या किसी संघराज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है, परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से और संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के, यथास्थिति, प्रधान सचिव या सचिव (वित्त) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र कि उक्त माल उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित हैं और यह कि उक्त परियोजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्यक्रूप से अनुमोदित की गई है।";

(iii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे;

(ख) "लाईन मंत्रालय" से भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा किसी परियोजना की बाबत इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया है।"।

[फा. सं. 354/74/95-टी.आर.यू.]

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 84/97-सीमाशुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 [सा.का.नि. सं. 645(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1997] के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 1999

No. 85/99-CUSTOMS

G.S.R. 495(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 84/97-Customs, dated the 11th November, 1997, namely :-

In the said notification,-

(i) for the words " all the goods imported into India by the United Nations or an international organisation for execution of projects financed by them", the following words shall be substituted, namely:-

"all the goods imported into India for execution of projects financed by the United Nations or an international organisation"

(ii) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the importer, at the time of clearance of the goods, produces before the

Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction, -

(i) in case the said goods are intended to be used in a project financed (whether by a loan or a grant) by the United Nations and the said project has been approved by the Government of India, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, in the Ministry of Finance(Department of Economic Affairs), that the said goods are required for the execution of the said project financed by the United Nations and that the said project has duly been approved by the Government of India, or

(ii) in case the said goods are intended to be used in a project financed (whether by a loan or a grant) by the World Bank, the Asian Development Bank or any other international organisation, and the said project has been approved by the Government of India, a certificate from the executive head of the Project Implementing Authority and countersigned by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, in the concerned Line Ministry in the Government of India, that the said goods are required for the execution of the said project and that the said project has duly been approved by the Government of India, and

(iii) in case the said goods are intended to be used in a project financed (whether by a loan or a grant) by the World Bank, the Asian Development Bank or any other international organisation, and the said project has been approved by the Government of India for implementation by the Government of a State or a Union Territory ,a certificate from the executive head of the Project Implementing Authority and countersigned by the Principal Secretary or the Secretary(Finance), as the case may be , in the concerned State Government or the Union Territory , that the said goods are required for the execution of the said project, and that the said project has duly been approved by the Government of India for implementation by the concerned State Government." ;

(iii) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely: -

"Explanation For the purposes of this notification, -

(a) "international organisation" means an international organisation to which the Central Government has declared, in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act,1947 (46 of 1947), that the provisions of the Schedule to the said Act shall apply;

(b). "Line Ministry" means a Ministry in the Government of India, which has been so nominated with respect to a project, by the Government of India, in the Ministry of Finance(Department of Economic Affairs).".

[F. No. 354/74/95-TRU]

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No.84/97-Customs, dated the 11th November, 1997 (G.S.R. 645 (E), dated the 11th November, 1997)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054